

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 के
अनुच्छेद 7.1 के तहत भवन प्लान की स्वीकृति

परमिट संख्या- 118 / 2013

दिनांक 21/7/2013


सेवा में

- (1) श्रीमति- पविन्द्र कौर पति- श्री सुरजीत सिंह
(2) श्री सदानन्द सिंह पिता- श्री गोरख नाथ सिंह
(3) श्री सुभाष सिंह पिता- श्री मदन सिंह
P. A. H- श्री निर्मल श्रीवास्तव

महोदय,

प्लॉट सं-840, खाता सं-645 भोजा-पारडीह, वार्ड सं-08 पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गए आवेदन के आलाप में आवासीय भवन Basement (Parking) + Ground Floor (Parking + Nos. Shop) + 4th Floor Height- 14.94 मीटर कुल इकाई -18 अर्द्ध आवासीय प्लेट तथा 03 अर्द्ध शॉप के आवासीय भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अशुभ भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करने एवं आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकन एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापतिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगी।
4. खण्ड के सामने चहारदियारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पेयमेन्ट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अ-शे-स- कार्यालय को देनी होगी तथा प्लॉट/भूमि तल पर कार्य अपने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माणकर्ता को अपार्टमेन्ट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. निर्माणकर्ता को निजी ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की दैर्घव्यक व्यवस्था के रूप में आग्नि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
8. प्रत्येक तल पर समुचित क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। यदि अग्नि शामक विभाग द्वारा कभी कोई निर्देश दिया जाता है, तो उसका पालन करना होगा।
9. Rain Water Harvesting के साथ, Ground Water Recharging तथा Waste Water Recycling का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50 प्रतिशत फ्लाइंग एश ब्रिक्स का प्रयोग करना होगा।
11. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ-शे-स- को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
12. मानगो बिल्डिंग बाई लॉज 2007 एवं झारखण्ड अपार्टमेन्ट अधिनियम 2005 में वर्णित अन्य सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ-शे-स- द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. सार्वनीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी प्रकार का भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
15. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, संख्या, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल, एवं कुल स्वीकृत प्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
16. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है।
17. भवन प्लान की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापतिधारी अभियंता को सार्वजनिक शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
18. यह परमिट निर्माण हेतु निर्गत तिथि से मात्र तीन वर्षों के लिए ही विधिमान्य होगी।


 सहायक अभियंता
 मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
 जमशेदपुर।

विशेष पदाधिकारी
 मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
 जमशेदपुर।